भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1808.

05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू 2.0 का कार्यान्वयन

1808. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संपूर्ण देश में पीएमएवाई-यू 2.0 के कार्यान्वयन की प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के लिए लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता और निष्पक्षता किस प्रकार सुनिश्चित करती है;

(ग) पीएमएवाई-यू 2.0 के लिए कुल कितना बजट आवंटन किया गया है और विभिन्न कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत निधियों का वितरण कितना है;

(घ) सरकार दवारा शहरी क्षेत्रों में विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए किफायती आवास विकल्पों की कमी को दूर करने के लिए किए गए/ किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ड.) आईएसएस वर्टिकल के अंतर्गत 1.80 लाख रुपए की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि एकीकृत वेब पोर्टल उपयोगकर्ता अनुकूल हो और सभी हितधारकों, विशेषकर सीमित डिजिटल साक्षरता वाले लोगों के लिए सुलभ हो; और

(छ) पीएमएवाई-यू 2.0 के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र की संस्थाओं की क्या भूमिका है और भागीदारी को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाएगा?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी क्षेत्रों में पक्का आवास प्रदान करने के लिए 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करके देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्का मकान उपलब्ध कराना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से प्राप्त

परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा 25.11.2024 तक कुल 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 114.22 लाख आवास निर्माणाधीन हैं, और 88.22 लाख से अधिक आवास पूर्ण कर लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं।

प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी श्रेणियों के एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराये के आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से देशभर के शहरी क्षेत्रों में सस्ती लागत पर आवासों का निर्माण करने, उन्हें खरीदने और किराये पर लेने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जा सके। अब तक, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। योजना के दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/operational-guidelines-of-pmay-u-2.pdf पर उपलब्ध हैं। कुल निवेश 10 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें 2.30 लाख करोड़ रुपये की सरकारी सब्सिडी भी शामिल है तथा इस योजना के अंतर्गत कोई घटक-वार आवंटन नहीं है।

इस योजना के तहत ईडब्ल्यूएस परिवारों को 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है। एलआईजी में वे परिवार शामिल हैं, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से लेकर 6 लाख रुपये तक है। एमआईजी में वे परिवार शामिल हैं, जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये से लेकर 9 लाख रुपये तक है। पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा योजना दिशानिर्देशों में परिभाषित पात्रता मानदंडों के आधार पर की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) एकीकृत वेब पोर्टल पर आवास की वास्तविक मांग का आकलन करने के लिए उपयुक्त माध्यमों से विभिन्न घटकों के अंतर्गत आवास की मांग का आकलन कर रहे हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। लाभार्थी पोर्टल पर सभी विवरणों के साथ आवास की मांग के लिए स्वयं को पंजीकृत भी कर सकते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकाय योजना दिशानिर्देशों के पात्रता मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों को सत्यापित करते हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए एकीकृत वेब पोर्टल https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PmayDefault.aspx पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू 2.0 के आईएसएस घटक के तहत, योजना के पात्रता मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक जांच के बाद प्राथमिक ऋण संस्थाओं (पीएलआई) के माध्यम से

लाभार्थियों को गृह ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। पात्र लाभार्थियों का विवरण आगे और सत्यापन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) को भेजा जाता है। लाभार्थियों का ऐसा बहुस्तरीय सत्यापन लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, आईएसएस घटक के कार्यान्वयन के लिए, सीएनए के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ङ): योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, आईएसएस घटक के तहत, 9 लाख रुपए तक की आय वाले पात्र लाभार्थियों को अधिकतम 1.80 लाख रुपए की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। 120 वर्ग मीटर तक के कारपेट एरिया के साथ 35 लाख रुपये तक की संपत्ति के लिए 25 लाख रुपये तक के गृह ऋण पर 12 वर्ष तक की अवधि के लिए पहले 8 लाख रुपये पर 4.0% की दर से सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी लाभार्थी के ऋण खाते में 5 वार्षिक किस्तों में जारी की जाती है, बशर्ते सब्सिडी जारी होने के समय ऋण सक्रिय हो तथा 50% से अधिक मूलधन बकाया हो।

(च): योजना की निगरानी के लिए एक मजबूत और एकीकृत वेब पोर्टल विकसित किया गया है। यह वेब पोर्टल उपयोगकर्ता के अनुकूल है और सभी हितधारकों के लिए सुलभ है और इसमें लाभार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और वास्तविक समय के आधार पर अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, कार्यान्वयन एजेंसियों, लाभार्थियों और सभी संबंधित हितधारकों के पास सभी आवश्यक जानकारी अपलोड करने की सुविधा होगी। बेहतर पहुंच और समावेशिता के साथ ऑफ़लाइन कार्य क्षमता और बहुभाषी समर्थन के साथ एक मोबाइल-अनुकूल इंटरफ़ेस भी विकसित किया गया है। वेब-पोर्टल की उपयोगिता में सुधार के लिए हित धारकों से प्रतिक्रिया ली जाती है।

(छ): पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की एजेंसियों को एएचपी घटक के तहत ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों के लिए आवास बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सार्वजनिक/निजी एजेंसियों को पीएमएवाई-यू 2.0 के एआरएच घटक के तहत किराये के आवास परियोजनाओं के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किफायती आवास पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए समयबद्ध आधार पर सार्वजनिक/निजी एजेंसियों को विभिन्न सुधार और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए "किफायती आवास नीति" तैयार करनी होगी। पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 'किफायती आवास नीति' तैयार करने में सहायता प्रदान की जाती है।

*****